राजस्व वाद संख्याः–16/2018
लीलाधर सैनी बनाम पितराम सैनी वगै0
निर्णय दिनांकः– 15.03.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.– 16/2018

लीलाधर सैनी पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 1 पावर हाउस के पीछे पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. पितराम सैनी पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 10 पिलानी तहसील पिलानी. जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. बजरंग सैनी पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 10 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. मुलाराम सैनी पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 9 श्याम मंदिर के पास पिलानी तहसील पिलानी. जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. नोरंगलाल सैनी पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 1 कटारिया का कुआ सीतली जोडी पास पिलानी तहसील पिलानी ढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. सीताराम सैनी पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 1 कटारिया का कुआ सीतली जोडी पास पिलानी तहसील पिलानी. जिला झुंझुनूं राजस्थान।
6. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 1 कटारिया का कुआ सीतली जोडी पास पिलानी तहसील पिलानी. जिला झुंझुनूं राजस्थान।
7. श्यामलाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 1 कटारिया का कुआ सीतली जोडी पास पिलानी तहसील पिलानी. जिला झुंझुनूं राजस्थान।
8. मु0 दाखा, बेवा स्व0 श्री कालूराम सैनी, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 1 कटारिया का कुबा सीतली जोडी पास पिलानी तहसील पिलानी जिला झुंझुनू।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक –15.03.2024

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 3.12 है0, खसरा नम्बर 560 रकबा 2.03 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.02 है0, गै0 मु0 कुआ, स्थित मौजा पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राज. का वादी को कृषि भूमि खसरा नं.106 रकबा 3.12 है0,

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

खसरा नम्बर 560 रकबा 2.03 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.02 है0, गै0 मु0 कुआ में वादी को हिस्सा 1/9 का वाद पत्र में संलग्न नजरिए नक्शे में लाल सुर्ख मार्क से दर्शाये गये भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादी का अलग से कायम किया जावे।

(ख)यहं कि उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के मध्य बाई मीट्स व बाई बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर नजरी नक्शे में दर्शाये गये लाल सुर्ख मार्क भाग की भूमि पर अर्सा दराज कब्जे काश्तशुदा हिस्से को वादी का घोषित किया जा कर पर्चा लगान तथा खतौनी वादी के नाम से अलग से कायम की जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे क वो उक्त कृषि भूमि में वादी के 1/9 हिस्से की कब्जेशुदा कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

(ड़) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 5 की और से श्री हजारी लाल एड0 ने वकालतनामा एवं आपती विभाजन प्रस्ताव पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर आपती स्वीकार की जाकर आपती पर बहस सुनी गई एवं पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्रतीवादी संख्या 6 की ओर से श्री गोरधन सिंह एड0 ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अ0आ0 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र अ0आ0 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकील वादी की बहस सुनी गई व वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अ0आ0 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारीज किया गया। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—16/2018
लीलाधर सैनी बनाम पितराम सैनी वगै0
निर्णय दिनांकः— 15.03.2024

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 3.12 है0, खसरा नम्बर 560 रकबा 2.03 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.02 है0, गै0 मु0 कुआ, स्थित मौजा पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राज0 की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2020/817 दिनांक 19.03.2020 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है. । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–16/2018
लीलाधर सैनी बनाम पितराम सैनी वगै0
निर्णय दिनांकः– 15.03.2024

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 16/2018

निर्णय दिनांक :– **15.03.2024**

लीलाधर सैनी **बनाम** पितराम सैनी वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री रामेश्वर दयाल एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 15.03.2024 को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

''न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 3.12 है0, खसरा नम्बर 560 रकबा 2.03 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.02 है0, गै0 मु0 कुआ, स्थित मौजा पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राज0 की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2020/817 दिनांक 19.03.2020 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी मूर्तिब हो।''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **15.03.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़